# झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

**CIN: U40108JH2013SGC001704**

पंजीकृत कार्यालय: एस.एल.डी.सी भवन,कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, रांची & 834002

## प्रबंधक का कार्यालय; संचरण अवर प्रमंडल, चतरा,

पत्रांक: 05/प्रबंधक/सं०अ०प्र०, चतरा                                                  दिनांक: 05/04/2022

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ।

विषयः- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत चतरा से हंटरगंज तक 132 kV D/C संचरण लाइन निर्माण हेतु 53.2129 हे० (चतरा उत्तरी 23.3355 हे०) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- (1) आपके कार्यालय का पत्रांक सं- 583 ; दिनांक- 31.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि चतरा जिला अंतर्गत 132 kV D/C चतरा से हंटरगंज तक संचरण लाइन निर्माण हेतु 53.2129 हे० (चतरा उत्तरी 23.3355 हे०) वन भूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव का वन संरक्षक, चतरा द्वारा उल्लेखित आंशिक त्रुटियों का निराकरण इस प्रकार है :-

| क्र०सं० | त्रुटियाँ | निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाइन फॉर्म-ए पार्ट-1 पुराने वाले ही संलग्न है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 में काफी संशोधन एवं FRA 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा कई आवश्यक अभिलेख Additional Information में अपलोड किया गया है तदोपरांत Generate Part-1 प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करना अनिवार्य है, जो नहीं किया गया है । | प्रस्ताव में निर्देशानुसार उपयुक्त सुधार कर दिया गया है तदोपरांत Generated Part-1 में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर कर अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए नौ प्रतियों में समर्पित किया जा रहा है । |
| 2 | ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका-K में No अंकित है, जबकि नियमतः Yes अंकित होना चाहिए, साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा की प्रति अपलोड करना है, जिसे अन्य स्थान यानि Additional Information के रूप में अपलोड किया गया है जिसे संशोधन की आवश्यकता है । | ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका-K में Yes अंकित कर दिया गया है, साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा की प्रति उपयुक्त स्थान में अपलोड कर दिया गया है। |
| 3 | प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपुरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल को Hatching कलर से दर्शाते हुए Index में दर्शाना अनिवार्य है, जो नहीं किया गया है । इसे सुधार की आवश्यकता है । | प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपुरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल को Hatching कलर से दर्शाते हुए Index में दर्शा दिया गया है । |

अतः उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव को (नौ प्रति) आपके कार्यालय मे अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु समर्पित की जा रही है ।

विश्वासभाजन

05/04/2022

**प्रबंधक,**

**संचरण अवर प्रमंडल, चतरा।**

**प्रतिलिपि**:1) परियोजना प्रबंधक मेसर्स APSPL को सूचनार्थ एवं आपसे अनुरोध है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से समन्वय स्थापित करते हुए उचित कार्यवाही करें।

2) वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमंडल, हज़ारीबाग / उपमहाप्रबंधक, संचरण अंचल, हज़ारीबाग को सूचनार्थ हेतु अग्रसारित।

# कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

E-mail Address : dfo-chatranorth@gov.in, Phone No. : 06541-296022

पत्रांक : 583 दिनांक : 31.03.2022

सेवा मे

श्री सुनिल कुमार
प्रबंधक
संचरण अंचल प्रमंडल, चतरा।

विषय :- मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत **132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line** निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा उत्तरी– 23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन के सम्बंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 254 दिनांक 26.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा उत्तरी– 23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव को ऑनलाईन अग्रसारित किया गया था, तत्पश्चात वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 254 दिनांक 26.03.2022 द्वारा आंशिक त्रुटियाँ पायी गयी है, जो निम्नवत् है :-

1. प्रस्ताव में सलंग्न ऑनलाईन के फार्म–ए, पार्ट–। पुराने वाले ही सलंग्न है, जबकि ऑनलाईन पार्ट–। में काफी संशोधन एवं FRA 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र तथा कई आवश्यक अभिलेख Addional Information में अपलोड किया गया है तदोपरान्त Generate Part-I प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ अपलोड करते हुए प्रस्ताव में सलंग्न करना अनिवार्य है, जो नहीं किया गया है।
2. ऑनलाईन पार्ट–। की कंडिका ज्ञ,पद्ब में No अंकित है, जबकि नियमतः Yes अंकित होना चाहिए, साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र एवं इस कम में हुई ग्राम सभा की प्रति अपलोड करना है, जिसे अन्य स्थान यानि Addional Information के रूप में अपलोड किया गया है, जिसे संशोधन की आवश्यकता है।
3. प्रस्ताव में सलंग्न क्षतिपुरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल का नक्शा में प्रस्तावित स्थल को Hatching कलर से दर्शाते हुए Index में दर्शाना अनिवार्य है, जो नही किया गया है। इसे सुधार की आवश्यकता है।

अतः आपके द्वारा समर्पित हार्डकॉपी (आठ प्रति) एवं ऑनलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ सलंग्न कर वापस करते हुए निर्देश है कि उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित हार्डकॉपी एवं ऑनलाईन प्रस्ताव यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

31/03/2022

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

31/03/2022

E:\MAP SECTION\Map Section Work 2021-22\Map Sec. Forward 21-22.docx